तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/06/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप० नहीं हुआ अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः तत्संबंधी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नतीजन शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। रजिस्टर से कम हो। (signature)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 345/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

इन्दरसिंह बनाम शैम्भूराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री अव्हाद निवृति सोमनाथ

प्रार्थी वकील – श्री विरमाराम धरासर

निर्णय

दिनांक – 28/06/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बींजासर के मौजा आंगनशाह की ढाणी के खेत खसरा संख्या 699/337 रकबा 19.13 बीघा, खसरा संख्या 700/416 रकबा 17.01 बीघा कुल रकबा 36.14 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बींजासर के मौजा आंगनशाह की ढाणी के खेत खसरा संख्या 699/337 रकबा 19.13 बीघा, खसरा संख्या 700/416 रकबा 17.01 बीघा कुल रकबा 36.14 बीघा किस्म बा0सो0 की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 28/06/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(अव्हाद निवृति सोमनाथ)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1 इन्दरसिंह पुत्र कासबसिंह जाति राजपुत निवासी आंगनशाह की ढाणी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेंर	बनाम	1 शेंभुराम पुत्र हरचन्दराम 2. मुकेश पुत्र हरचन्दराम 3. सिन्धु पत्नि हरचन्दराम 4. रामजीराम पुत्र निम्बाराम 5. पुरूषोतम पुत्र निम्बाराम 6. भीखाराम पुत्र साजनराम 7. केवाराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल 8. पनाराम पुत्र सोनाराम 9. जोधाराम पुत्र सोनाराम 10. भगुडा पुत्र पदमा जाति भील निवासी आंगनशाह की ढाणी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।
राजस्व आवेदन संख्या 282/2017

दिनांक : 28/06/23

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बींजासर के मौजा आंगनशाह की ढाणी के खेत खसरा संख्या 699/337 रकबा 19.13 बीघा, खसरा संख्या 700/416 रकबा 17.01 बीघा कुल रकबा 36.14 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(अव्हाद निवृति सोमनाथ)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/

दिनांक

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ—
1. तहसीलदार धनाऊ ।
2. प्रार्थी इन्दरसिंह पुत्र कासबसिंह।
3. विप्रार्थीगण शेंभुराम पुत्र हरचन्दराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा